International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

शैक्षिक मापकों के सूचकांको का विकास तथा परिवर्तन

भारती शर्मा

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर

सार संक्षेप

भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करवाने का प्रावधान रखा हैं । साथ ही प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में ठहराव भी अत्यावश्यक है। बच्चे विद्यालय छोड़ कर अन्य कार्यो के लिए शाला का त्याग न करे और अपनी प्रांभिक शिक्षा को पूर्ण करें । जिससे बालक-बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ती जाऐं तथा भारत एक उन्नत और पूर्ण विकसित शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके । उत्कृष्ट नागरिक बनाने के लिए शाला भी उत्कृष्ट हो । शाला को उत्कृष्ट बनाने के लिए विशिष्ट शैक्षिक सूचकांक बनाऐ गऐ है। इन शैक्षिक सूचकांकों के प्रभाव का अध्ययन करना शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य है ।

यही कारण है कि लेखिका ने बालक-बालिकाओं के सकल दर्ज अनुपात सूचकांक, छात्र निरंतरता सूचकांक, जेण्डर समानता सूचकांक तथा वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक को लेखन विषय को प्रमुख उद्देष्य माना हैं । किसी भी देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षिक मापकों के सूचकांकों में प्रति वर्ष उन्नयन हो। यदि किसी बसाहट में उन्नयन हो रहा तो इसका तात्पर्य यह है कि उक्त बसाहट के बच्चे विद्यालय जा रहे है एवं यदि उक्त सूचकांक में कमी पाई जाती है तो यह चिन्तनीय विषय है एवं शिक्षा शास्त्रियों एवं सरकार को इसके कारणों का पता लगाकर उन्नयन दर में बढ़ोतरी का सार्थक प्रयास करना चाहिए । एक उन्नत एवं विकसित आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में शैक्षिक सूचकांकों में प्रति वर्ष उन्नयन होता है एवं यह अधिकतम मान को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है जबकि एक पतनशील सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में शैक्षिक सूचकांकों में क्रमानुसार ह्रास होता जाता हैं । सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद भी क्या शैक्षिक सूचकांकों में परिवर्तन हो रहे हैं ? विद्यालयों में नामांकन होने के बावजूद क्या सकल दर्ज अनुपात सूचकांक, छात्र निरंतरता सूचकांक, जेण्डर समानता सूचकांक, वार्षिक स्थिरता सूचकांक में परिवर्तन हो रहे है अथवा नहीं ? बालक बालिकाओं के शाला त्याग करने की दर में क्या कमी आई है ? उनकी उपलब्धि तथा गुणवत्ता में क्या बढ़ौत्तरी हुई हैं ? इस लेख में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास गया है । इस लेख का उद्देश्य यह पता लगाना है कि चयनित क्षेत्र विशेष शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से उन्नत हो रहा है अथवा वह पतनशील व्यवस्था का अंग हैं ।

परिचय -

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा- प्रथम प्राथमिकता की वस्तु हैं । यह पहली सीढ़ी हैए जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अभीष्ठ लक्ष्य तक पहुँचता हैं । राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ संबंध प्राथमिक शिक्षा का है , उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं हैं । राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है उतना किसी दूसरी सामाजिक राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं हैं । इसका सम्बंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता हैं । इसका हर कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से सर्म्पक होता है और बालक ही बड़ा होकर व्यक्ति का रूप धारण करता हैं ।

इस प्रकार हम कह सकते है कि सब बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है हम सभी यह चाहते है कि हमारी शाला एक उत्कृष्ट शाला के रूप में नाम स्थापित करें । शाला को उत्कृष्ट बनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के शैक्षिक सूचकांक निम्नानुसार है-

1) सकल दर्ज अनुपात **(Gross Enrolment Ratio)**
2) छात्र निरंतरता सूचकांक **(Students Continuity Index)**
3) जेन्डर समानता नामांकन सूचकांक **(Gender Equality in Enrolment)**
4) वार्षिक स्थिरता दर **(Annual Retention Rate)**

उक्त क्षेत्रों में बेहतर कार्यनिष्पादन के आधार पर हम प्रत्येक शाला का शैक्षिक विकास ज्ञात कर सकते हैं । प्रत्येक शाला का लक्ष्य सूचकांक के अधिकतम बिन्दु को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए ।

1. सकल दर्ज अनुपात

नामांकन से तात्पर्य है कि (प्राथमिक शालाओं का लक्ष्य आयु समूह 6-11 वर्ष । पूर्व माध्यमिक शालाओं का लक्ष्य

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

आयु समूह 11-14 वर्ष।) 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे शालाओं में दर्ज हैं ।

शाला से बाहर बच्चे या जो शाला में दर्ज हो या इन्हे शाला में दर्ज कराने के लिए ब्रिजकोर्स में दाखिल कराया जाए । शाला से बाहर बच्चों में दो प्रकार के बच्चे शामिल होते है-

1. वे बच्चे जो किसी भी शाला में कभी भी दर्ज नहीं हुए अर्थात् अप्रवेशी बच्चे तथा

2. वे बच्चे जो किसी कभी शाला में तो दर्ज हुए लेकिन जिन्होंने प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने से पहले बीच में ही पढ़ना छोड़ दिया यानि शाला त्यागी (dropout) बच्चे ।

विभिन्न आयु समूह के बच्चों को उनके समकक्ष कक्षाओं में दर्ज कराने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं । । जुलाई के प्रथम सप्ताह में 'स्कूल चलें हम अभियान' इसी प्रयास की एक रणनीति हैं । विभिन्न स्तरों पर प्रवेशित छात्रों की आयु समूह निम्नानुसार ज्ञात कर सकते है:-

$$\text{सकल दर्ज अनुपात (GER)} = \frac{\text{प्राथमिक कक्षाओं (1–5) में दर्ज बच्चों की संख्या}}{\text{शाला की बसाहट में 6–11 आयु समूह के बच्चों की संख्या}} \times 100$$

सकल दर्ज अनुपात की सहायता से यह गणना की जा सकती है कि किसी दिये गए समय पर किसी क्षेत्र जैसे-जिले या विकास खण्ड या जन शिक्षा केन्द्र या बसाहट या माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा सुविधाओं में शाला जाने योग्य आयु वर्ग के कुल बच्चों की तुलना में दर बच्चों का अनुपात कितना हैं ।

प्रतिवर्ष माह जुलाई के आरंभ में *''स्कूल चलें हम अभियान''* के दौरान प्रदेश की सभी बसाहटों में घर-घर सम्पर्क करके प्रत्येक परिवार के 3-14 वर्ष की बच्चों की संख्या व शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता हैं । इसके द्वारा किसी बसाहट में 6-14 वर्ष के कुल कितने बच्चें है और उनमें से कितने शालाओं में नामांकित है इसकी सहायता से सकल दर्ज अनुपात निकाला जा सकता हैं । साथ ही इसके द्वारा बसाहट में कितने बच्चे शाला से बाहर हैं । अर्थात् कितने बच्चे अप्रवेशी है और कितने बच्चे शाला त्यागी है और इनके शाला से बाहर होने के कारण क्या हैं । इसके आधार पर रणनीति तैयार करके इन बच्चों को शाला में दर्ज कराया जा सकता हैं ।

2. छात्र निरंतरता सूचकांक

छात्र निरंतरता सूचकांक (प्राथमिक स्तर)–

कक्षा पहली में दर्ज	कक्षा पाँचवी में दर्ज	छात्र निरन्तरता सूचकांक
		$\frac{\text{कक्षा पाँचवी में दर्ज}}{\text{कक्षा पहली में दर्ज}} \times 100$

छात्र निरंतरता सूचकांक (पूर्व माध्यमिक स्तर):–

कक्षा छटवीं में दर्ज	कक्षा आठवीं में दर्ज	छात्र निरन्तरता सूचकांक
		$\frac{\text{कक्षा आठवीं में दर्ज}}{\text{कक्षा छटवीं में दर्ज}} \times 100$

पहली कक्षा में दर्ज सभी बच्चे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि वे शाला में निरंतर बने रहे ।

निरंतर सूचकांक शाला की उच्चतम कक्षा (5 वीं/8 वीं/10 वीं/12 वीं) में दर्ज बच्चों का उस शाला की प्रवेश कक्षा (1ली/6वी/9 वी/11 वी) में दर्ज बच्चों से अनुपात दर्शाता हैं ।

3. जेन्डर समानता नामांकन सूचकांक - समानता के लिए शिक्षा पर विशेष प्रयास किए जा रहैं हैं । यदि हमारी शाला में सह शिक्षा (बालक एवं बालिका दोनों दर्ज) हैं । ऐसी शाला में बालक एवम् बालिकाए समान संख्या में दर्ज होना चाहिए ।

इस सूचकांक को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है -

$$GEE = \left\{ \frac{\text{बालिकों की संख्या}}{\text{बालिकाओं की संख्या}} \right\} X100$$

4) वार्षिक स्थिरता दर - विद्यालय में बच्चों के प्रवेश में ही समानता न हो वरन् छात्र स्कूल में बना रहैं । वह विद्यालय छोड़ न दे । बालकों को एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रांरभिक शिक्षा में नामांकित किए गए है- वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें अर्थात् शाला में वार्षिक स्थिरता बनी रहैं ।

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

$$ARR = 100\left\{\frac{(X1+X2+X3+X4)-(Y2+Y3+Y4+Y5)}{(X1+X2+X3+X4)}\right\}$$

जहाँ X1,X2,X3,X4 कक्षा I, II, III, IV की दिए गए वर्ष में बालक–बालिकाओं की संख्या
Y2,Y3,Y4,Y5 कक्षा II, III, IV,V में अगले वर्ष में बालक–बालिकाओं की संख्या

$$ARR = 100\left\{\frac{(X1+X2)-(Y2+Y3)}{(X1+X2+X3+X4)}\right\}$$

जहाँ X1,X2 कक्षा VI, VII की दिए गए वर्ष में बालक–बालिकाओं की संख्या
Y2,Y3 कक्षा VII, VIII में अगले वर्ष में बालक–बालिकाओं की संख्या

शैक्षिक सूचकांको की शिक्षा में उपयोगिता -

सकल दर्ज अनुपात की सहायता से यह गणना की जा सकती है कि किसी दिए गए समय में किसी क्षेत्र जैसे- जिले या विकास खण्ड या जन शिक्षा केन्द्र या बसाहट या माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा सुविधाओं में शाला जाने योग्य आयु वर्ग के कुल बच्चों की तुलना में दर बच्चों का अनुपात कितना हैं ।

ठहराव दर की सहायता से यह गणना कि जा सकती है कि किसी क्षेत्र जैसे- जिले या विकास खण्ड या जन शिक्षा केन्द्र या किसी शाला की कक्षा 1 दर्ज होने वाले कुल बच्चों में से पाँच वर्ष की अवधि में कितने बच्चों का शाला में ठहराव होता हैं । अर्थात् कक्षा 1 से दर्ज बच्चों में से कितने बच्चे पाँच वर्ष में कक्षा पाँच में पहुचते हैं । इससे प्राथमिक स्तर की ठहराव दर ज्ञात की जा सकती हैं ।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा हेतु ठहराव दर जानने के लिए यह पता किया जाता है कि किसी शाला की कक्षा 6 में दर्ज होने वाले कुल बच्चों में से तीन वर्ष की अवधि में कितने बच्चों का ठहराव होता हैं । अर्थात् कक्षा 6 में दर्ज बच्चों में से कितने बच्चे तीन वर्ष में कक्षा 8 में पहुंचते हैं ।

समंको का संचयन व सूचकांकों की गणना -

PRIMARYAND MIDDLE SCHOOLS						
	GER		SCI		GEE	
YEAR	URBAN	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	RURAL
2006-07	64.72	100.11	137.50	82.16	84.31	78.02
2007-08	69.84	106.07	130.30	93.80	86.98	78.51
2008-09	74.56	113.91	109.80	110.09	77.31	87.18
2009-10	70.69	121.49	138.46	112.68	78.06	111.54
2010-11	75.08	112.05	200.00	124.08	82.52	105.95

निष्कर्ष -

प्रस्तुत शोध ''शैक्षिक मापकों के सूचकांकों का विकास तथा इनमें हुए परिवर्तनों का एक अध्ययन'' हेतु विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राप्त ऑकड़ों के सारणीयन, गणना, विष्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं के सत्यापन के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गए है-

1. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में लगभग एक समान उन्नयन परिलक्षित हुआ हैं ।

2. शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं में छात्र निरंतरता सूचकांक में सार्थक अंतर परिलक्षित हुआ हैं । ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से अधिक उत्तम हैं । शहरी क्षेत्र के में बालक-बालिकाए शासकीय विद्यालयों में अध्ययरन न करके विभिन्न निजी विद्यालयों में कर रहे हैं ।

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

3. शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में बालक एवं बालिका की शिक्षा प्राप्ति में लगभग समानता हैं । जेण्डर समानता सूचकांक में प्रतिवर्षानुसार समानता परिलक्षित हुई हैं । अर्थात् बालक-बालिकाओं में शिक्षा प्राप्ति में समानता हैं ।

क्रमांक	परिकल्पनायें	निष्कर्ष
1.	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिकविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में प्रति वर्षानुसार उन्नयन परिलक्षित हुआ है। तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में लगभग एक समान उन्नयन परिलक्षित हुआ हैं।
2.	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार छात्र निरंतरता सूचकांक संतोषजनक हैं। तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।	शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयोंमें बालक–बालिकाओं में छात्र निरंतरता सूचकांक में सार्थक अंतर परिलक्षित हुआ हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से अधिक उत्तम हैं।
3.	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवंपूर्वमाध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के जेण्डर समानता सूचकांक में प्रति वर्षानुसार समानता परिलक्षित हुई है तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नही हैं।	शहरी क्षेत्र के में बालक–बालिकाएँ शासकीय विद्यालयों में अध्ययरन न करके विभिन्न निजी विद्यालयों में कर रहे हैं।
4.	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्ने वार्षिक में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक दर संतोष जनक हैं। तथा इनमें काई सार्थक अंतर नहीं हैं।	शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में बालक एवं बालिका की शिक्षा प्राप्ति में लगभग समानता हैं। जेण्डर समानता सूचकांक में प्रतिवर्षानुसार समानता परिलक्षित हुई हैं। अर्थात् बालक–बालिकाओं में शिक्षा प्राप्ति में समानता हैं।
5.	शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्ने वार्षिक में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक दर संतोष जनक हैं। तथा इनमें काई सार्थक अंतर नहीं हैं।	शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं। शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं।

4. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं ।

5. शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं ।

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिकविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में प्रति वर्षानुसार उन्नयन परिलक्षित हुआ है। तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हैं । शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार छात्र निरंतरता सूचकांक संतोषजनक हैं तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हैं ।

शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में लगभग एक समान उन्नयन परिलक्षित हुआ हैं । शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं में छात्र निरंतरता सूचकांक में सार्थक अंतर परिलक्षित हुआ हैं । ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से अधिक उत्तम हैं । शहरी क्षेत्र में बालक-बालिकाए शासकीय विद्यालयों में अध्ययरन न करके विभिन्न निजी विद्यालयों में कर रहे हैं ।

शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में बालक एवं बालिका की शिक्षा प्राप्ति में लगभग समानता हैं । जेण्डर समानता सूचकांक में प्रतिवर्षानुसार समानता परिलक्षित हुई हैं । अर्थात् बालक-बालिकाओं में शिक्षा प्राप्ति में समानता हैं । शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं । शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षो में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर संतोषजनक हैं ।

सुझाव -

1. शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त विषय शिक्षक नहीं होने से अन्य विषय के शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता हैं। अतः शासकीय विद्यालय में पर्याप्त विषय शिक्षक उपलब्ध कराये जाएँ ।

2. शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य भी कराय जाते हैं जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित होता हैं। अतः शासन को चाहिए कि शिक्षकों से अन्य शासकीय कार्य जैसे- पल्स पोलियो, फोटो परिचय पत्र, चुनाव कार्य एवं जनगणना कार्य आदि गैर शैक्षणिक कर्मचारियों से करवाये जाये ।

3. शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त भवन एवं शौचालय व्यवस्था नहीं है अतः शासकीय विद्यालयों में प्रथमतः भवन एवं शौचालय की पूर्ती कर द्वितीयक रूप से फर्निचर और पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएं ।

4. ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणाम कम होने के साथ-साथ उत्कृष्ट नहीं होते है कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में प्रायः शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं रहते क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का भाव होता हैं। अतः शासन को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण भत्ता तथा आवास सुविधा प्रदान करें। साथ ही विद्यालयों में सतत् निरीक्षण करवायें ।

2. शिक्षा अधिकारियों को सुझाव-

1. शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य न करवाये जाय ।
2. शासकीय विद्यालय के शिक्ष कों द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए।
3. प्राथमिक तथा माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में नकल प्रवृत्ति को कड़ाई से रोका जाए ।
4. बालक-बालिका लिंग भेद पूर्ण व्यवहार न हो साथ ही वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं से भी भेद-भाव पूर्ण व्यवहार न किया जाए तथा उन्हें आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान किये जाए।
5. विद्यालयों में पाठ्यसहगामी गतिविधियों को भी सम्पादित करवाया जाए ।

3. जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुझाव-

1. सभी शैक्षिक गतिविधियाँ निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर व समय विभाग चक्र अनुसार संपन्न करवानी चाहिए ।
2. शिक्षकों को सघन व नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर उस प्रशिक्षण में जिस विधा के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किया है वह उस विधा का वह अनुप्रयोग कर रहा है या केवल प्रशिक्ष ण की औपचारिकता पूर्ण कर रहा है की सतत् मानीटरिंग करना चाहिये।

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-9-10 Issue -8-3, August 2021-March 2022 pp. (05 – 10)

3. विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए नई-नई शिक्षण विधियों, नवाचार, सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग के लिए शिक्षकों को सतत् मार्ग दर्शन करना चाहिए ।

4. डाइट व्याख्याओं को शालाओं के शिक्षकों का मार्गदर्शक होना चाहिए न कि निरीक्षणकर्ता या जांच अधिसकारी ।

5. शाला में आयोजित परीक्षाओं के स्तर का सतत् मूल्यांकन कर उत्तर पुस्तिकाओं की क्रास चेकिंग करना चाहिए ।

6. शाला के विद्यार्थियों से स्वयं परिचर्चा के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि विद्यार्थियों की वस्तुगत कठिनाइयाँ क्या-क्या है उनका समाधान शिक्षण विधियों में समाहित करना चाहिए ।

7. शैक्षिक स्तर पर पिछड़े छात्र एवं छात्राओं को समान स्तर पर लाने हेतु अतिरिक्त प्रयास या उपचारात्मक कक्षा लगवाना चाहिये ।

8. शिक्षकों को नियमित कक्षा लेने एवं कक्षा में शैक्षिक कार्य हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए ।

4. प्राचार्यो को सुझाव-

1. विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का सतत् निरीक्षण करना चाहिए ।
2. विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश के समय सद्भावना पूर्ण एवं आत्मीय व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनके मन से प्राचार्य शिक्षक एवं शाला का भय समाप्त हो सकें ।
3. सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर व समय परीक्षा सम्पन्न करवाना चाहिए ।
4. समय-समय पर इकाई मूल्यांकन, तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षा सम्पन्न करवाना चाहिए ।
5. शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े विद्यार्थियों को समान स्तर पर लाने हेतु अतिरिक्त उपचारात्मक कक्षा लगवाना चाहिए ।
6. बिना भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर लाने हेतु अतिरिक्त उपचारात्मक कक्षा लगवाना चाहिए ।
7. शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री एवं नवाचार हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए ।
8. मासिक टेस्ट, तिमाही टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षाओं की विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की क्रास चैकिंग करना चाहिए
9. शिक्षकों की नियमितता सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए ।
10 नकल प्रवृत्ति का पूर्णरूप से विरोध करना चाहिए तथा नकल प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए ।

5. शिक्षकों को सुझाव-

1. अपने कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए ।
2. शिक्षण कार्य नियमित और पूर्ण रूचि से करना चाहिए ।
3. शिक्षण में नई-नई विधा को अपना कर शैक्षिक प्रक्रिया को रूचिकर बनाना चाहिए ।
4. विद्यार्थियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए ।
5. विद्यार्थियों में शिक्षण कार्य द्वारा जिज्ञासा जागृत करना चाहिए एवं जिज्ञासा को संतुष्ट भी करना चाहिए ।
6. विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें उचित उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए ।
7. विद्यार्थियों का शाला में अर्थपूर्ण ठहराव सुनिश्चित करना चाहिए ।

Corresponding Author : email : bhartisharma1906@gmail.com